28.8.24	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे बहस सुनी गई। वादपादी का अ. धा. 88 RTA का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 134/2019

प्रकाश चन्द्र पिता नन्दलाल जी हजूरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. छोटु पिता नन्दलाल हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
2. सुगना पुत्र ी नन्दलाल हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
   हा.मु. गुढा नाल खेडी तह0 बेगूँ
3. कंचन बाई पत्नि नन्दलाल हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
4. नंदा पिता सुजान जी हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ (आदेश दिनांक2.3.22 से नाम तर्क)
5. लादु पिता सुजान जी हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
6. भूरी पुत्री सुजान जी हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ हा.मु.
   पत्नि मदनसिंह हजुरी निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
7. लाली पुत्री सुजान जी हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ हा.मु.
   पत्नि मदनसिंह जी हजुरी निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
8. सवता बहादुर पिता नाथु जी हजूरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
9. कैलाश बाई पत्नि स्व. छोटू जी हजूरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
10. बाबूलाल पिता स्व. छोटू जी हजूरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
11. श्रीमति एजनबाई पत्नि हीरालाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
12. ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड शाखा मण्डावरी तह0 बेगूँ
13. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय जी सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ
14. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा. बेगूँ
15. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़ जरिये राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री भोलश भट्ट
अधिवक्ता वादी
श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रति.12

निर्णय दिनांक ::– 28.08.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीसं. 1 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में भाई बहिन है एवं प्रतिवादी सं0 4 से 11 तक संयुक्त सहखातेदारी की ग्राम मण्डावरी व माल का नया गॉव प0ह0 मण्डावरी तह0 बेगूँ में निम्न कृषि आराजीयात स्थित है, जिसकी तफसील निम्न प्रकार है:–

खाता नं.	आराजी नं0		रकबा हैक्टर
681	1230		0.3320
	1234		0.3080
	1236		0.3240
	1237		0.3480
	कीता–4	कुल रकबा	1.3120 हैक्टर
249	1778/671		0.728
	कीता–1	कुल रकबा	0.728 हैक्टर
55	915 मी.		0.769
	2121/884		0.489
	2129/916		0.324
	कीता–2	कुल रकबा	1.579 हैक्टर

यह कि वादी के पिता की मृत्यु पश्चात जो नामान्तरकरण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजीया तमे राजस्व कर्मचारियो द्वारा लापरवाही व भूलवश राजस्व रिकोर्ड में प्रकाश चन्द्र के बजाय पप्पू पिता नन्दलाल हजुरी अंकित हो गया। जबकि वादी के समस्त रिकोर्ड में जिनमें पहचान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड भामाशाह कार्ड राजकीय प्राथमिक विद्यालय की टी.सी. आदि में नाम प्रकाश चन्द्र नन्दलाल हजूरी ही दर्ज है।

यह कि पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच किये बिना ही वादी का खाते में नाम केवल पप्पु पिता नन्दलाल हजुरी लिख दिया गया था जबकि वादी के समस्त दस्तावेज में नाम प्रकाश चन्द्र पिता नन्दलाल हजूरी दर्ज है। ग्राम मण्डावरी में प्रकाश चन्द्र पिता नन्दलाल हजुरी का वादी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है तथा प्रकाश चन्द्र पिता नन्दलाल हजुरी एक ही व्यक्ति है।

यह कि वाद कारण दिनांक 07.03.2019 को वादी द्वारा अपने उक्त खातो की नकल जमाबन्दी प्राप्त की तो उक्त राजस्व कर्मचारीयो की गलती की जानकारी हुई जिससे दिनांक 07.03.2019 से वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। राजस्व रेकार्ड में प्रकाश चन्द्र पिता नन्दलाल हजुरी के रूप में दर्ज किये जाने की घोषणा आज्ञप्ती हेतु वादी का यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं. 12 ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड शाखा मण्डावरी व प्रति. सं. 13 सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ के खाता रहन होने से व प्रतिवादी सं. 14 भूमिधारी जी एवं प्रतिवादी सं. 15 राजस्थान सरकार होकर वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने इन्हें पक्षकार बनाया है।

वर्णित भूमि ग्राम मण्डावरी व माल का नया गॉव प.ह. मण्डावरी में होने से वाद पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय आपको होने से वाद पत्र न्यायालय समायत आप है।

अतः न्यायालय श्रीमान वादी आपसे निम्न अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

(क) कि वादी के पक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावे कि मौजा मण्डावरी माल का नया गॉव प.ह. मण्डावरी तह0 बेगूँ की कृषि आराजीयात जो वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित है मे वादी का नाम पप्पु पिता नन्दलाल हजुरी के बजाय प्रकाश चन्द्र पिता नन्दलाल हजुरी दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति फरमायी जावें।

(ख) कि वकील मेहनताना भी वादी को प्रतवादीगण से दिलाया जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वाद वादी का न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रकरण मे प्रतिवादी सं. 12 की ओर से वकालतनामा अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत ने प्रस्तुत किया। प्रकरण मे प्रतिवादी सं. 12 व 13 को आवाज दिलाने पर भी वे न्यायालय मे उपस्थित नहीं आए तथा न ही प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया है, प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदशे दिये गये। दावा पत्रावली में भूमिधारी द्वारा अपना जबाव कानूनी होकर वादी स्वयं सिद्ध करें अंकित करते हुए लिखा है कि यह कि वादी अपने नाम में शुद्धि हेतु विधिसम्मत प्रकिया से स्वयं सिद्ध कर अग्रिम कार्यवाही करावें।

इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने एवं भूमिधारी द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत किये जाने पर निम्न तनकी पत्र पत्रावली में पृथक से कायम कर शामिल पत्रावली किया गयाः—

1— आया कि वादी के पक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावे कि मौजा मण्डावरी माल का नया गॉव प.ह. मण्डावरी तह0 बेगूँ की कृषि आराजीयात जो वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित है मे वादी का नाम पप्पु पिता नन्दलाल हजुरी के बजाय प्रकाश चन्द्र पिता नन्दलाल हजुरी दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति फरमायी जावें? वादी

2— आया कि वादी अपने नाम में शुद्धि हेतु विधिसम्मत प्रकिया से स्वयं सिद्ध कर अग्रिम कार्यवाही करावें? प्रतिवादी

3— दादरसी ?

पत्रावली में जबाव प्रस्तुत किये जाने के पश्चात वादी की साक्ष्य हेत आदेश दिये गये। दावा पत्रावली में वादी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पप्पू उर्फ प्रकाश पिता नन्दलाल जी हजूरी ने पेश किया जिनसे मुख्य परीक्षण करते हुए वादी ने अपने दस्तावेज को प्रदर्श कराया प्रतिवादी की ओर से जिरह निल रही है, इस प्रकार वादी ने अपने बयान कलमबद्ध करा साक्ष्य वादी पूर्ण की। पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात दावा पत्र पर अधिवक्ता वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, वादी ने अपनी बहस में वादपत्र के अनुसार ही निवेदन करते हुए मामला नाम शुद्धि करने का बताते हुए वादी का सही नाम प्रकाश चन्द्र पिता नन्दलाल हजूरी राजस्व खाते में घोषित करने का निवेदन किया है। हमारे द्वारा बहस अधिवक्ता की सुने जाने के उपरान्त पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार से है :—

प्रदर्श—1 नकल जमाबंदी मौजा मण्डावरी प0ह0 मण्डावरी सं0 2072—2075 में अंकित आराजी संख्या 1230, 1234, 1236, 1237 कीता—4 कुल रकबा 1.3120 हैक्टर भूमि श्री सांवतबहादर पिता नाथु, कैलाशीबाई ध.प. स्व. छोटू बाबूलाल पिता छोटू 1/4 दरोगा श्रीमती एजनबाई पति हीरालाल 1/4 धाकड श्रीमती कंचनबाई पत्नी नन्दलाल 1/4 नंदा लाद भूरी लाली पिता सुजान मु. गटुबाई बेवा सुजान 1/4 हि.ब. दरोगा सा.देह खातेदार रहन हि. बहादुर का ग्राम से.स.स.लि. मण्डावरी के नाम अंकित होकर जमाबंदी में लाल स्याही से नोट अंकित है कि नामा0सं0 2600 दिनांक 20.04.2017 विरासत से गटुबाई व उसका पुत्र नन्दा के बजाय लादू1/16, भुरी 1/216, लाली 1/16, पिता सुजान छोटू पप्पु सुगना पिता नन्दा कंचन प. स्व. नन्दा 1/16 दरोगा के नाम दर्ज हुआ । इस प्रकार विरासत से खाता खोलते समय नन्दा के पुत्र पप्पू का नाम अन्य वारिसान के साथ दर्ज किया हुआ है।

प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा माल का नयागांव प0ह0 मण्डावरी सं0 2073 से 76 की पेश की है जिसमें अंकित आराजी संख्या 915 मी., 2121/884, 2129/916 कीता–3 कुल रकबा 1.579 हैक्टर आराजी खातेदार श्री नंदलाल पिता सुजान हजूरी सा. मण्डावरी के नाम पर दर्ज है तथा लालस्याही से नोट अंकित किया हुआ हैनामा0सं0 2535 दिनांक 20.08.2016 विरासत से नन्दलाल के बजाय छोटू, पप्पू, सुगना पिता नन्दलाल कंचन प.स्व. नन्दलाल के नाम दर्ज हुआ इस प्रकार ग्राम माल के नया गॉव में भी विरासत से खोले गये इन्तकाल में वादी का नाम पप्पू ही दर्ज किया हुआ है।
प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी मौजा मण्डावरी की सं0 2072 से 75 तक की है जिसमें अंकित आराजी संख्या 1778/671 रकबा 0.728 हैक्टर भूमि श्री नंदा लादू भूरी लाली पिता सुजान मु0 गट्टुबाई बेवा सुजान हजूरी सा.देह खातेदार के नाम पर दर्ज थी, जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है कि ना0सं0 2470 दिनांक 20.06.2016 विरासत से गटुबाई के बजाय श्री नंदा लादु भूरी लाली पिता सुजान हजूरी के नाम दर्ज हुआ है तथा नामा0सं0 2535 दिनांक 20.08.2016 से विरासत से नन्दा के बजाय छोटू पप्पु सगुगना पिता नन्दा कंचन प.स्व. नन्दा हजूरी के नाम दर्ज हुआ है।
प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 नकल नामान्तरण संख्या 2535 I व 2535 II की प्रस्तुत की है, यह नामान्तरण विरासत नन्दलाल फोत के कारण खोला गया है जिसमें वादी का नाम पप्पू अन्य वारिसान के साथ दर्ज अंकित है। प्रदर्श–6 ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें प्रमाणित कया है कि प्रकाश चन्द्र पिता नन्दलाल हजूरी नाम ग्राम मण्डावरी तह0 में इस व्यक्ति के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम पप्पू अंकित हो गया है। जिसे प्रकाश चन्द्र नाम से जाना पहचाना जाता है। प्रदर्श–7 आधार कार्ड की छायाप्रति है जिसमें वादी प्रकाश चन्द्र हजूरी पिता नन्दलाल हजूरी मण्डावरी का नाम दर्ज है। प्रदर्श–8 परिवार का राशन कार्ड है जो प्रकाश चन्द्र पिता नन्दलाल मण्डावरी के नाम से जारी किया हुआ है। प्रदर्श–9 भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र है जिसमें वादी का नाम प्रकाश पिता नन्दलाल दर्ज है। प्रदर्श–10 ड्राईविंग लाईसेन्स की छायाप्रति में वादी प्रकाश चन्द्र हजूरी पिता नन्दलाल हजूरी का नाम से जारी किया हुआ है। इस प्रकार प्रदर्श–11 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मण्डावरी की टी.सी. की छायाप्रति है जो प्रकाश चन्द्र हजूरी पिता नन्दलाल के नाम से जारी की हुई है।

उपरोक्त सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– तनकी नं0 1 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है, वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज प्रदर्श– 1 से लगायत प्रदर्श–11 तक प्रस्तुत किये है, जिनका उपर विवरण अंकित करते हुए गहन अवलोकन हमारे द्वारा कर लिया गया है, यह दावा पत्र मात्र वादी के पिता नन्दलाल की मृत्यु के पश्चात नन्दलाल के वारिसान के नाम पर जो नामान्तरण खोले गये है उसमें वादी का नाम पप्पू दर्ज कर दिया गया है, जबकि सभी दस्तावेज से यह सिद्ध है कि मृतक खातेदार नन्दलाल के पप्पु नाम का लडका जिसका नाम गलत अंकित किया गया है सही नाम प्रकाश चन्द्र पिता नन्दलाल हजूरी है जो सभी दस्तावेज से सिद्ध हो जाता है। प्रकरण में अन्य सहखातेदारान न्यायालय में उपस्थित नहीं आए है ना ही इस बाबत कोई आपत्ति ही न्यायालय मे प्रस्तुत की है, प्रकरण मे भूमिधारी द्वारा अपने जबाव में वादी द्वारा अपना वाद पत्र सिद्ध किये जाने का कथन किया है, तथा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है, वादी ने सभी दस्तावेज के आधार पर अपना नाम पप्पू के बजाय प्रकाशचन्द्र राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध किया है। इस प्रकार तनकी नं0 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2– तनकी नं0 2 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी भूमिधारी का है, जिन्होने प्रकरण में अपना जबाब प्रस्तुत करते हुए वादपत्र को वादी द्वारा स्वयं सिद्ध कराने का कथन अंकित किया है, तथा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, तनकी नं0 1 के निर्णय अनुसार वादी ने अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करा पाने में वादी सफल रहे है, यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकी के निर्णय अनुसार मामला विरासत से खोले गये नामान्तरण में वादी का नाम पप्पु की बजाय प्रकाशचन्द्र पिता नन्दलाल हजूरी दर्ज किये जाने का होकर नाम शुद्धि का है जो कि प्रस्तुत सभी दस्तावेज से वादी के पक्ष में निर्णित किया जाना न्यायसंगत है। वाद वादी का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किया जाता है। दावा डिक्री किया जाता है मौजा मण्डावरी प0ह0 मण्डावरी में अंकित आराजी संख्या 1230, 1234, 1236, 1237 कीता–4 कुल रकबा 1.3120 हैक्टर भूमि में एवं मौजा माल का नयागांव प0ह0 मण्डावरी मे अंकित आराजी संख्या 915 मी., 2121/884, 2129/916 कीता–3 कुल रकबा 1.579 हैक्टर एवं मौजा मण्डावरी में अंकित आराजी संख्या 1778/671 रकबा 0.728 हैक्टर भूमि दर्ज पप्पू पिता नन्दलाल हजूरी के बजाय प्रकाशचन्द्र पिता नन्दलाल हजूरी नि0 मण्डावरी का नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है शेष अन्य सहखातेदारान के नाम जमाबंदी मे यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनाक 28.08.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 134 / 2019

प्रकाश चन्द्र पिता नन्दलाल जी हजूरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
वादी

वनाम

1. छोटु पिता नन्दलाल हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
2. सुगना पुत्र ी नन्दलाल हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
   हा.मु. गुढा नाल खेडी तह0 बेगूँ
3. कंचन बाई पत्नि नन्दलाल हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
4. नंदा पिता सुजान जी हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ (आदेश दिनांक2.3.22 से नाम तर्क)
5. लादु पिता सुजान जी हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
6. भूरी पुत्री सुजान जी हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ हा.मु.
   पत्नि मदनसिंह हजुरी निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
7. लाली पुत्री सुजान जी हजुरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ हा.मु.
   पत्नि मदनसिंह जी हजुरी निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
8. सवता बहादुर पिता नाथु जी हजूरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
9. कैलाश बाई पत्नि स्व. छोटू जी हजूरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
10. बाबूलाल पिता स्व. छोटू जी हजूरी निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
11. श्रीमति एजनबाई पत्नि हीरालाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
12. ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड शाखा मण्डावरी तह0 बेगूँ
13. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय जी सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ
14. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा. बेगूँ
15. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़ जरिये राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री भोलेश भट्ट की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री .....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 28.08.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वादीया का वादपत्र सिद्ध होने से

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किया जाता है। दावा डिक्री किया जाता है मौजा ण्डावरी प0ह0 मण्डावरी में अंकित आराजी संख्या 1230, 1234, 1236, 1237 कीता–4 कुल रकबा 1.3120 हैक्टर भूमि में एवं मौजा माल का नयागांव प0ह0 मण्डावरी मे अंकित आराजी संख्या 915 मी., 2121 / 884, 2129 / 916 कीता–3 कुल रकबा 1.579 हैक्टर एवं मौजा मण्डावरी में अंकित आराजी संख्या 1778 / 671 रकबा 0.728 हैक्टर भूमि दर्ज पप्पू पिता नन्दलाल हजूरी के बजाय प्रकाशचन्द्र पिता नन्दलाल हजूरी नि0 मण्डावरी का नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है शेष अन्य सहखातेदारान के नाम जमाबंदी मे यथावत रहेगें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्डअधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक ::–

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 /
डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्डअधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़